भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 4040

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्रीय सहायता

4040. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वायनाड जिले में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केरल राज्य को स्वीकृत ऋण के उपयोग की समय-सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय ऋण से उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने भूस्खलन पीड़ितों के बैंक ऋण माफ करने के अनुरोध पर कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी हाँ। आपदा प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण हेतु राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2024-25 के तहत दिनांक 11.02.2025 को केरल को 529.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। तत्पश्चात, राज्य सरकारों के अनुरोध पर, एसएएससीआई 2024-25 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था और जारी की गई राशि के उपयोग की तिथि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई थी। मंजूरी की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक एसएएससीआई नोडल एजेंसी (एसएनए) अधिसूचित करनी होती है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई राशि राज्य सरकार द्वारा 30 दिनों के भीतर एसएनए के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

(ग): सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केरल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी 529.50 करोड़ रुपये की धनराशि केरल के आपदा प्रबंधन विभाग के एसएनए खाते में स्थानांतरित कर दी है। दिनांक 12.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस खाते से कोई व्यय नहीं किया गया है।

(घ): भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों संबंधी स्थायी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन उपायों/निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ऋणों का पुनर्गठन, व्यक्तिगत गारंटी के लिए आग्रह किए बिना, अतिरिक्त नई सुरक्षा के बिना भी, रियायती ब्याज दर पर, किसी दंडात्मक ब्याज के बिना और साथ ही ब्याज की छूट के लाभ के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करके नए ऋण स्वीकृत करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी बोर्ड-अनुमोदित नीतियों और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालते हैं। बैंक, संगठन के सर्वोत्तम हित में सभी वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं और सरकार ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

****